

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 04/2016 सत्रवाद

संस्थित दिनांक. 23.05.2016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### **बनाम**

सूरज जाटव पुत्र जीवनलाल जाटव, उम्र 20  
साल निवासी ग्राम छरेंटा थाना मौ जिला भिण्ड  
म0प्र0

-----अभियुक्तगण

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्त द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 28.01.2017 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 354क भा0द0सं0 एवं धारा 7/8 बालकों से लेगिंग अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 4-5-16 को 18:30 बजे गयाराम जमादार के मकान के पास हैडपंप के पास ग्राम छरेंटा थाना मौ में फरियादिया जो कि नावालिग स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती पर बुरी नियत से हाथ डालकर अपराधिक बल का प्रयोग किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया जो कि नावालिग महिला है पर लघुत्तर लेगिंग हमला कारित किया।
02. यह अविवादित है कि प्रकरण में आरोपी एवं फरियादिया की ओर से उसके पिता/संरक्षक के मध्य राजीनामा होने से आरोपी को धारा 323 भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 5-5-16 को

फरियादिया ने मय अपने पिता लालाराम व भाई सतीश के थाना आकर रिपोर्ट की, कि शाम साढ़े छः बजे की बात है वह गंगाराम जमादार के मकान के पास लगे शासकीय हैडपम्प पर पानी भरने गई थी। हैडपम्प के पास बाल्टी लेकर संदीप जाटव खड़ा था तभी सूरज जाटव हैडपम्प पर आया और उससे अश्लील हरकत करने लगा उसने विरोध किया तो सूरज ने उसकी छाती पर बुरी नियत से हाथ डाल दिया। विरोध करने पर सूरज ने उसके दाहिने गाल में चांटा मारा और धक्का देकर पटक दिया जिससे उसका मोवायल गिर गया तब रम्मो जमादार ने बचाया उस तब तक उसके भाई सतीश और बुआ का लडका पवन आ गये सोई वह भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मौ ने अप0क्रं0 90/16 धारा 354क,323 भा0द0सं0 एवं धारा 8 बालकों के लेगिंग अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादिया का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराए गए एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

04. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 354क, 323 भा0द0सं0 एवं धारा 7/8 बालकों के लेगिंग अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। आरोपी को धारा 323 भा.दं.वि के आरोप से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या घटना दिनांक 04.05.2016 को 18:30 बजे फरियादिया 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी?
2. क्या दिनांक 4-5-16 को 18:30 बजे गंगाराम जमादार के मकान के पास हैडपंप के पास ग्राम छरेंटा थाना मौ में फरियादिया जो कि नावालिग स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती पर बुरी नियत से हाथ डालकर आपराधिक बल का

प्रयोग किया ?

3. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया जो कि एक नावालिग महिला है पर लघुत्तर लेगिंक हमला कारित किया ?

**—: सकारण निष्कर्ष:—**

**बिन्दु क्रमांक 1 :-**

07. सर्वप्रथम घटना दिनांक को घटना की पीडिता की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता के पिता लालाराम अ0सा0 2 के द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान 18 साल की होनी बताई है एवं उनके द्वारा पीडिता का छरेंटा स्कूल में कक्षा आठवी तक पढ़ना बताया है तथा पीडिता के द्वारा भी स्वयं को छरेंटा स्कूल में कक्षा सातवी तक पढ़ना बताया है और उम्र के संबंध में कोई कथन उसके एवं अन्य किसी अभियोजन साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में मौखिक साक्ष्य के आधार पर घटना के समय पीडिता की उम्र का अवधारण नहीं किया जा सकता है।

08. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फस्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

09. अभियोजन के द्वारा पीडिता की उम्र के संबंध में शासकीय माध्यमिक विद्यालय छरेंटा (करवास) गोहद के अध्यापक राजकुमार बाथम अ0सा0 6 जो कि विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हैं के कथन कराए गए हैं। उक्त साक्षी के द्वारा विद्यालय अभिलेख जो कि भर्ती रजिस्टर के अनुसार पीडिता की जन्मतिथि दिनांक 04.05.2001 होनी बताई है जो कि भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 08 में प्रवेश क्रमांक 388 पर दर्ज है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर पीडिता की जन्म दिनांक 04.05.2001 होना स्पष्ट होता है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।

10. निश्चित तौर से विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख के प्रमाणपत्र जो कि

अभियोजन के द्वारा प्रमाणित कराए गए है एवं जिसका कि कोई प्रतिखण्डन नहीं हुआ है और इस संबंध में धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत जो प्रावधान किए गए है कि इस संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है और उसके आधार पर जो कि घटना दिनांक 04.05.2016 की है तथा पीडिता की जन्मतिथि 04.05.2001 होना बताया गया है इस प्रकार पीडिता घटना दिनांक को 15 वर्ष की होकर वह नाबालिग होना पाई जाती है।

बिन्दु क्रमांक 2 व 3 :-

11. घटना की पीडिता अ0सा0 01 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 04 मई, 2016 को वह घर के पास स्थित हेण्डपम्प पर पानी भरने के लिए गई थी, उस समय आरोपी भी वहीं पर पानी भर रहा था। पानी भरने की बात को लेकर के उसका आरोपी से मुँह वाद हो गया था और इस दौरान आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा जो उसके दाहिने गाल में लगा था और उसका मोबाइल खींच लिया और कीचड़ में फेंक दिया था। उसने आवाज लगाई थी तो उसका भाई राकेश और बुआ का लडका पवन आ गये थे तो आरोपी भाग गया था। थाने पर रिपोर्ट करने गई थी जो रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त पीडिता को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, इस दौरान साक्षिया ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के समय आरोपी ने उसके साथ कोई अश्लील हरकत की और उसकी छाती पर बुरी नियत से हाथ डाल दिया और उसे धक्का देकर पटक दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षिया स्पष्ट की है कि आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा था जिस कारण उसने थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपी से हेण्डपम्प पर पानी भरने की बात को लेकर मुँहबाद हो गया था। आरोपी ने उस समय उसके साथ कोई भी अश्लील हरकत या बुरी नियत से कोई भी काम नहीं था। इस प्रकार घटना की पीडिता के द्वारा उसके साथ आरोपी के द्वारा केवल पानी भरने की बात को लेकर उसे थप्पड़ मारने के संबंध में बताया है। आरोपी के द्वारा घटना दिनांक को बुरी नियत से अथवा उसकी लज्जा शीलता भंग करने या उसके प्रति कोई लैंगिक आधार पर कृत्य किया जाना फरियादिया के कथनों में कहीं भी नहीं आया है।

12. उपरोक्त संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी लालाराम अ0सा0 2 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा केवल यह बताया गया है कि उसकी बच्ची जो कि हेण्डपम्प पर पानी भरने के लिए गई थी वहाँ पर मुँहबाद होने और चिल्लाने की बावाज आई तो वह अपने लडके के साथ वहाँ पहुँचा तो उसकी लडकी रो रही थी। उसने बच्ची से पूछा



तो उसने बताया कि सूरज ने चांटा मार दिया है जो कि पानी भरने की बात को लेकर उसे चांटा मारा गया है और धक्का मारा गया है। घटना की रिपोर्ट लडकी के द्वारा लिखाई गई थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त साक्षी ने भी कहीं भी आरोपी के द्वारा फरियादिया को बुरी नियत से या लैंगिक आधार पर कोई बल प्रयोग करने अथवा लैंगिक हमला करने के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है। इसी प्रकार साक्षी सतीश अ0सा0 4 जो कि पीडिता का भाई है उसके कथनों के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी संदीप अ0सा0 3 और पवन अ0सा0 5 के कथनों में भी अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। उक्त साक्षीगण भी पक्षद्रोही रहे हैं।

13. इस प्रकार पीडिता को बुरी नियत से पकड़कर उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने एवं उस पर लैंगिक हमला कारित करने का प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता अ0सा0 1 के कथन में कोई भी साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि आरोपी सूरज के द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किये जाने अथवा उसके अपराध में संलग्नता के संबंध में कोई तथ्य प्रमाणित होता हो। प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य भी पीडिता के साथ आरोपी के द्वारा आपराधिक बल उसकी लज्जा शीलता भंग करने के आशय से प्रयोग करने के संबंध में नहीं आया है। इस बिन्दु पर यद्यपि साक्ष्य में यह आया है कि आरोपी के द्वारा पीडिता को हेण्डम्प पर पानी भरने की बात को लेकर चांटा मारा गया इस संबंध में धारा 323 भा0द0सं0 का आरोपी है जिसमें कि राजीनामा स्वीकार किया जा चुका है। निश्चित तौर से धारा 354क भा0द0सं0 की प्रमाणिकता हेतु बल प्रयोग या हमला लज्जा शीलता भंग करने के आशय से किया जाना आवश्यक है जो कि पीडिता या किसी भी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है।

14. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त किया गया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपी सूरज के नाम का उल्लेख है और उसके द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है। पीडिता के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत न्यायालय में हुए कथन में भी आरोपी के घटना में शामिल होने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में धारा 354(क) भा0दं0वि0 एवं इसके अतिरिक्त बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के तहत भी अभियोग है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की

उपधारणा की जाएगी।

15. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में आरोपी सूरज के विरुद्ध नावालिग स्त्री पर लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में जो कि धारा 7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में परिभाषित किया गया है तथा जिसके दण्ड का प्रावधान धारा 8 में है का भी आरोप है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 इस आशय का प्रावधान करती है कि यदि अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 का अपराध करने अथवा अपराध का दुष्प्रेरण करने के संबंध में अभियोग चल रहा है तब विशेष न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है अथवा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है, जब तक अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाए। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति की आपराधिक मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें कि आरोपी के अपराध करने के संबंध में मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा की जाएगी तथा बचाव पक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि आरोपी की इस प्रकार की मानसिक स्थिति नहीं थी।

16. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के घटना में संलग्न होने का प्रश्न है, इस बिन्दु पर पीडिता के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आरोपी ने उसके साथ हेण्डपम्प पर पानी भरने के विवाद को लेकर चांटा मारा है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अश्लील हरकत आरोपी के द्वारा करने के संबंध में और बुरी नियत से उसकी छाती में हाथ डालने का तथ्य आया है, किन्तु पीडिता ने अपने साक्ष्य कथन में यह स्पष्ट किया है कि उसने ऐसी कोई बात पुलिस को रिपोर्ट में नहीं बताई थी। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त तथ्य उल्लेख है भी तो मात्र इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती। इस बिन्दु पर **जितेन्द्र कुमार वि० स्टेट ऑफ हरियाणा (2012)6 एस.सी.सी. 204** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध घटित होने के संबंध में स्वयं में कोई साक्ष्य नहीं होता है। इसका उपयोग केवल अभियोजन के मामले के लिए सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है, इस संबंध में **बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736** में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्विक साक्ष्य नहीं होते हैं वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह हैं और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने

हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामदर्ज होने के आधार पर तथा धारा 164 जा.फौ. के कथन के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

17. जहाँ तक लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा का प्रश्न है तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी सूरज के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ एवं बेइज्जती करने की कोई घटना कारित नहीं की गई है। ऐसी दशा में उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपराध घटित करने के संबंध में उपधारणा करने का कोई आधार होना नहीं पाया जाता है और धारा 30 के अंतर्गत मानसिक स्थिति के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती।

18. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा घटना की प्रमाणिकता के संबंध में जिन मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी बतायी जा रही है। उनके आधार पर आरोपी के अपराध में संलग्न होना और उसके द्वारा घटना कारित करने का तथ्य किसी भी प्रकार युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

19. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा पीडिता के साथ उसकी लज्जाशीलता भंग करने हेतु कोई घटना कारित की गई अथवा किसी प्रकार से लैंगिक हमला कारित करना अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। तदनुसार आरोपी सूरज को धारा 354(क) भा0दं0वि0 एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)